ग्राम पंचायत भैल, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के **दृष्टिगत** ग्राम पंचायत भैल, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री प्रेम सिंह	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति रीता कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री विजय कुमार	01.04.14 से 30.08.14
2	श्री नरेश कुमार	31.08.14 से 28.02.15
3	श्री दिनेश कुमार	28.02.15 से 03.12.15
4	श्री विजय कुमार	03.12.15 से 07.11.16
5	श्री सुशील कुमार	07.11.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भैल, विकास खण्ड बिझड़ी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.21
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	6.43
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.89

5	8	बिना बिल/वाउचर के संदिग्ध भुगतान	0.09

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भैल, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21.11.17 से 25.11.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	08/2014	08/2014
2015-16	07/2015	01/2016
2016-17	07/2016	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भैल, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 558 दिनांक 25.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 216562 (KCCB) दिनांक 03.12.17 **के माध्यम से** उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत भैल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत भैल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	61012	46668	107680	45923	61757
2015-16	61757	928806	990563	113220	877343
2016-17	877343	199641	1076984	95151	981833

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत भैल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	187121	4225443	4412564	3739708	672856
2015-16	672856	3462350	4135206	3978971	156235
2016-17	156235	1857192	2013427	1370599	642828

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹981833

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹642828

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1624661

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1616711

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व-स्त्रौत) : ₹230

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (13^{th} FC) : ₹389

बैंक खाता संख्या	**राशि**
GEN-A, KCCB -4200	974272
13th & 14th FC, PNB -7951	427362.99
GEN-B, KCCB – 4073	215076
MNREGA, PNB -507067	0
MNREGA, CBI -34342	0
कुल राशि	**₹1616710.99**

Bank Reconciliation Statement

Particulars		**Debit**	**Credit**
Balance a per Cash Book as on 31.03.17		1624661	-
Cheque Received but not collected up to 31.03.17		-	7000
Ch. No 884525 Dated 25.05.14 (CBP-37), ₹5000/-(Own source)			
Ch. No - Dated – (Before 01.04.14), ₹2000/-(Own source)			
Cash in Hand (Own Source)		-	619
Balance as per Pass Book		-	1616711
Difference			331
	Total	**₹1624661**	**₹1624661**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तशेष में अन्तर:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹331 का अन्तर पाया गया । जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 557 दिनांक 23.11.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 25.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर ₹331 की वसूली रसीद संख्या 284579 दिनांक 23.11.17 द्वारा करके निधि खाते में जमा कर दिया गया था अन्तर की जांच किए बिना अन्तर की राशि जमा करवाना उचित नहीं। अतः अन्तर की जांच की जाए तथा भविष्य में भी पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 स्व स्त्रौत की रोकड़ बही की जांच में पाया कि ₹5000 का चैक संख्या 884525 दिनांक 25.05.14 प्राप्त किया गया था जिसका इन्द्राज रोकड़ बही के पृष्ठ-37 में दिनांक 25.05.14 को किया गया था, लेकिन उक्त चैक पंचायत द्वारा बैंक में जमा नहीं किया गया, जिस कारण से पंचायत को हानि हुई थी । अतः उक्त चैक को बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.3 जांच में पाया कि स्व स्त्रौत की रोकड़ बही में दिनांक 01.04.14 को ₹2000 का चैक एकत्रीकरण हेतु लम्बित (Outstanding) दर्शाया गया था जो कि दिनांक 01.04.14 से पूर्व का लम्बित था, लेकिन चैक संख्या व चैक किससे प्राप्त किया गया था, का विवरण नहीं दिया गया था । अतः उक्त चैक के पूरे विवरण से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं ₹2000 की वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

5 पंचायत राजस्व ₹0 . 21 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण फीस एवं मोबाइल टावर फीस के रूप में वसूली हेतु ₹21100 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें ।

1. अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 57 दिनांक 23.11.17 द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्थापित कुल मोबाइल टावर की संख्या से अवगत करवाने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 25.11.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत क्षेत्र में कुल 4 मोबाइल टावर स्थापित हैं जिसमे से बीएसएनएल की नवीनीकरण फीस अवधि 2016-17 में वसूल नही की गई थी एवं रिलायंस का टावर वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था लेकिन इसका पंजीकरण फीस/ नवीनीकरण फीस प्राप्त नहीं की जा रही है, अतः अंकेक्षण अवधि 2016-17 में BSNL के मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस ₹2500 की वसूली करना अपेक्षित है एवं रिलायंस टावर की पंजीकरण फीस ₹4000 एवं नवीनीकरण फीस ₹13500 (वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक

₹6000 (3X2000) एवं वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ₹7500 (3X2500) की वसूली करना अपेक्षित है। अतः मोबाइल टावर फीस के रूप में कुल ₹20000 की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार करना भी सुनिश्चित करें।

2. <u>शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹1100 की कम वसूली :-</u>

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹1100 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
19 (2016)	श्री बलबिंदर कुमार	26.10.16	01.11.16	200-100=100
20	श्री अमित कुमार	10.11.16	21.11.16	200
21	श्री मनोज कुमार	11.11.16	21.11.16	200
22	श्री बिक्रान्त राणा	20.10.16	25.11.16	400
1 (2017)	श्री लखनपाल	06.02.17	23.02.17	200
		कम वसूली गई राशि		**₹1100**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 557 दिनांक 23.11.17 **द्वारा** कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 25.11.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त ₹1100 की वसूली कर ली जाएगी। अतः वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

3. <u>भू- राजस्व की वसूली न करना :-</u>

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 अनुदान ₹6.43 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹642828 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं

से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.89 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा** ₹389405 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 बिना बिल/वाउचर ₹0.09 का संदिग्ध भुगतान:-

वाउचर संख्या 48/1 दिनांक 28.06.14 की जांच में पाया कि स्व- स्त्रौत की रोकड़ बही के पृष्ठ-44 में चैक संख्या 156809 से **द्वारा** बैंक खाता संख्या 4200 (KCCB) से ₹8500 आहरित करके व्यय के रूप में दर्शाई गई थी लेकिन अंकेक्षण के दौरान व्यय से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 557 दिनांक 23.11.17 **द्वारा** कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 25.11.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त वर्णित अभिलेख जांच उपरांत बाद में प्रस्तुत किए जायेंगे। अतः उक्त व्यय से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹8500 की वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

9 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत **द्वारा** उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत **द्वारा** प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत **द्वारा** इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए ।

10 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख

रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना ।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

12 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 42/2017 खण्ड–1–3418–3421 दिनांक 16.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत भैल, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881